

मध्यप्रदेश शासन
राज्य शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वैल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक-संख्या-73-16 /2009/20-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24-4-07

संघिव:

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत बिहार, नई दिल्ली।

विषय:-

अशासकीय संस्था - कानूनी अवधारणा के अनुसार अनापत्ति प्राप्ति को सी.टी.एस.ई. /आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बन्धित है
अनापत्ति प्राप्ति को देने वाले हैं।

राज्य शासन द्वारा अशासकीय संस्था - कानूनी अवधारणा के अनुसार अनापत्ति प्राप्ति को सी.टी.एस.ई. /आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बन्धित है अनापत्ति प्राप्ति वाले निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है:-

1. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सके इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाये।
2. विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्राचात भवन सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायें। इस हेतु संस्था ने वयन पत्र लिखाया जाये।
3. इति संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।

निरन्तर.. 2 पर

-2-

हेत्त्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य दोई ते सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी मृ. प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संघालनालय द्वारा तम्य-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं निवास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का व्यवस्था से प्राप्त किया जायेगा।

तथा की प्रबंध कार्यकारी समिति में मृ. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग और प्रतिनिधि कार्यकारी समिति में सम्मिलित करना आवश्यक होगा।

प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेलों का आयोजन आदि में सहायोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेगे। ज्ञानकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क दर्या-तम्य प्रकाशित किये जायेगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का झोलप नहीं किया जायेगा।

छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके एवं लेखन सामग्री छली बजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से क्रय इसने छी वाध्यता नहीं रहेगी।

विधि संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक सूप से ट्यूबस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा ऐक्षणिक संस्थाओं के संबंध में तम्य-संस्था पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा। इन्होंने के छात्रों को उनके निवास से विदालय तक लाने एवं वापिस निवास रुक मेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैध होने का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा को दृष्टि से इन्हें उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी सेवे ज्वलनशील राधन एवं घंटू एवं पी. जी. आदि से संयोगित नहीं किया जायेगा।

: ३:

11. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को ऐम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। लोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि तिधद पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रभाप-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
12. संस्था के इस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर गेद-भाव तथा लाम्बदापिक्ता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिवंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

23/VI/07

१. आर. आर. अहिरलाल
अचर सचिव

२. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
३. भोपाल, दिनांक 24-4-07

३०५०-८८-७३- 16 /2007/20-3

प्रतिलिपि:-

1. आद्यक्त, लोक शिक्षण तंदरिनालय, म. प्र. भोपाल।
2. जिला प्रिमा अधिकारी, जिला नीमच - भर्जा - - - -
3. फायर, अशारकीय शिक्षण संघ - कार्मिक - कार्यालय -
- भवाला (जिला) नीमच - भर्जा - - - -
4. आडर हूक।

की ओर सूचनार्थ सर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेशित।

अदर सचिव

23/VI/07

४. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

३/५